



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल।

(मिश्रित भवन, लुधी सर्कुलर रोड, धनबाद)

☎ 0326-2313385

☎ 9471192101, 8987790305

Email- dfodhanbad@gmail.com

dfo-dhanbad@gov.in

पत्रांक :-

दिनांक :-

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक,

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

धनबाद।

विषय :- J.U.S.N.L. द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमण्डल अन्तर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 केवी0 डी0/सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 16.2635 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक 2199 दिनांक 18.05.2018, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 260 दिनांक 25.03.2025 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 891 दिनांक 04.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक सहमति में अधिरोपित शर्त संख्या- 2 के आलोक में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा NPV मद में कुल राशि 2.434 लाख का मांग पत्र दिया गया था, जिसे आपके द्वारा ऑनलाईन कैम्पा खाते में जमा किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.12.2023 से निर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं 2023 मार्ग निर्देशिका के Chapter- 3 के अनुसार वर्तमान दर पर NPV की राशि वसुलनीय है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक- 06.01.2022 द्वारा निर्धारित वर्तमान दर पर NPV की गणना तालिका निम्नवत है -

- (1) प्रमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा- 0.3889 हे0।
- (2) प्रस्तावित वन भूमि पर वन का घनत्व- 0.4
- (3) Eco class - 3
- (4) NPV की कुल राशि- $0.3889 \text{ हे0} \times 12,28,590.00 = 4,77,798.65$ या रुपये 4,77,799.00
- (5) पूर्व में जमा की गई राशि - रुपये 2,43,400.00
- (6) अवशेष राशि - रुपये 2,34,399.00

अतः अनुरोध है कि अवशेष राशि रुपये 2,34,399.00 (दो लाख चौतिस हजार तीन सौ निन्यानचे) e-payment module से Online कैम्पा खाता (PARIVESH Portal) में जमा कर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
धनबाद।

ज्ञापांक- 789

दिनांक- 27.03.2025

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

1.89D
27/3/25
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
क.ब.स. धनबाद।
27/03/2025

कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर



संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर



फोन नं०-06432 - 232397, मो०-8987790441, ई-मेल : dfo-deoghar@gov.in

पत्रांक 351 देवघर, दिनांक 04.04.2025

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक,
जे.सी.पी. पावर ग्रीड, राँची।

विषय : J.U.S.N.L द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल अन्तर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 के.मी. डी/सी ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 16.2635 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 260 दिनांक 25.03.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा विषयगत परियोजना में सन्निहित वनभूमि के विरुद्ध संशोधित दर पर एन.पी.भी. राशि जमा करने हेतु निदेशित किया गया है।

विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के द्वारा एन.पी.भी. दर में संशोधन किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.12.2023 को निर्गत मार्ग-दर्शिका के Chapter-3 की कंडिका 3.3(b) के अनुसार वैसी परियोजना जिनमें प्रथम स्तर की स्वीकृति दिनांक 06.01.2022 से पूर्व प्रदान की गयी हो तथा 05 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रथम स्तर की स्वीकृति में लगाए गए शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है वैसे मामले में भी संशोधित दर पर एन.पी.भी. की राशि वसूलनीय है। उपरोक्त के आलोक में एन.पी.भी. मद में देय राशि निम्नवत् संशोधित की जाती है :-

1. देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत अपयोजित होनेवाली वनभूमि का क्षेत्रफल-5.5529 हे०।
2. परियोजना अन्तर्गत अवस्थित वनभूमि की विवरणी - Eco Class-III, Open Forest (Canopy-0.2-0.4)।
3. उपरोक्त श्रेणी में संशोधित दर से देय एन.पी.भी. की राशि - रु० 9,57,780.00 प्रति हे० x 5.5529 हे० = रु० 53,18,457.00 (तिरपन लाख अठारह हजार चार सौ संतावन) मात्र।
4. कैम्पा खाता में एन.पी.भी. के मद में पूर्व में जमा की गई राशि = रु० 34,76,115.00।
5. अवशेष देय राशि = रु० 53,18,457.00 - 34,76,115.00 = रु० 18,42,342.00।

अनुरोध है कि एन.पी.भी. के मद में अवशेष राशि रु० 18,42,342.00 (अठारह लाख बयालीस हजार तीन सौ बयालीस) रुपये मात्र झारखण्ड के कैम्पा खाता में ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए जमा करने की कृपा की जाए तथा राशि जमा किये जाने संबंधी साक्ष्य की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

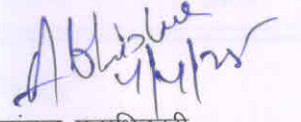
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

ज्ञापांक 351 दिनांक 04-04-2025

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सन्थाल परगना, दुमका एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

Prince Sep



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 260

राँची : 25/8/2025

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/बोकारो।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/बोकारो/देवघर।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल/दुमका वन प्रमण्डल
/देवघर वन प्रमण्डल/जामताड़ा वन प्रमण्डल।

विषय :-

J.U.S.N.L. द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमण्डल अन्तर्गत
गोविन्दपुर से दुमका तक 220 के0वी0 डी0/सी0 ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु
कुल 16.2635 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।



महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विषयगत परियोजना को भारत सरकार
के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/Trans/19386/2016/2199 दिनांक 18.05.2018 द्वारा
सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) में अधिरोपित शर्त संख्या-02 के अनुपालन में NPV
की राशि प्रमण्डलवार जमा की गई है। वर्तमान में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.12.2023 द्वारा निर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन)
अधिनियम, 1980 एवं 2023 मार्ग निर्देशिका के Chapter-3 के अनुसार विषयगत परियोजना के लिए
NPV की राशि हेतु वर्तमान दर से संशोधित मांग-पत्र निर्गत करते हुए वसूलीय राशि कैम्पा खाता
में जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।



कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Court Compound, Dumka-814101

E-mail- dfo-dumka@gov.in/dfodumka@gmail.com



पत्रांक— 891 दिनांक— 21-4-25

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक,
जे०सी०पी०,
उप केन्द्र 400/200 के०वी०,
ग्राम—राजाउलातु, पोस्ट—नामकुम, राँची—834010

विषय :- J.U.S.N.L. द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल अन्तर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 के०भी० डी/सी ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 16.2635 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक—260 दिनांक—25.03.2025 तथा इस कार्यालय का पत्रांक—713 दिनांक—03.04.2025 एवं 820 दिनांक—12.04.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया निदेश किया जाय। प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना में सन्निहित वनभूमि के विरुद्ध संशोधित दर पर एन०पी०वी० राशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु राशि जमा करने संबंधी सूचना अबतक अप्राप्त है।

विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक—5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक—06.01.2022 के द्वारा एन०पी०वी० दर में संशोधन किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक—29.12.2023 को निर्गत मार्ग—दर्शिका के Chapter-3 की कंडिका 3.3(b) के अनुसार वैसी परियोजना जिनमें प्रथम स्तर की स्वीकृति दिनांक—06.01.2022 से पूर्व प्रदान की गयी हो तथा 05 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रथम स्तर की स्वीकृति में लगाए गए शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है वैसे मामले में भी संशोधित दर पर एन०पी०वी० की राशि वसूलनीय है। उपरोक्त के आलोक में एन०पी०वी० मद की संशोधित राशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया है, जो निम्नवत् है :-

1. दुमका वन प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत अपयोजित होनेवाली वनभूमि का क्षेत्रफल—4.1048 हे०।
2. परियोजना अन्तर्गत अवस्थित वनभूमि की विवरणी—Eco Class-III, Open Forest (Canopy 0.2-0.4)।
3. उपरोक्त श्रेणी में संशोधित दर से देय एन०पी०वी० की राशि—रु० 9,57,780.00 प्रति हे० x 4.1048 हे० = रु० 39,31,496.00(उन्नचालीस लाख एकतीस हजार चार सौ छियानवे)
4. कैम्पा खाता में एन०पी०वी० के मद में पूर्व में जमा की गई राशि—रु० 25,69,605.00
5. अवशेष देय राशि = रु० 39,31,496.00 - 25,69,605.00 = रु० 13,61,891.00

पुनः अनुरोध है कि एन०पी०वी० के मद में अवशेष राशि रु० 13,61,891.00 (तेरह लाख एकसठ हजार आठ सौ एकानवे) रुपये मात्र झारखण्ड कैम्पा खाता में ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए जमा करने की कृपा की जाए तथा राशि जमा किये जाने संबंधी साक्ष्य की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

21/4/25 21-4-25



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 260

राँची : 25/3/2025

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/बोकारो।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/बोकारो/देवघर।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल/दुमका वन प्रमण्डल
/देवघर वन प्रमण्डल/जामताड़ा वन प्रमण्डल।

विषय :- J.U.S.N.L. द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमण्डल अन्तर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 के0वी0 डी0/सी0 ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 16.2635 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विषयगत परियोजना को भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/Trans/19386/2016/2199 दिनांक 18.05.2018 द्वारा सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) में अधिरोपित शर्त संख्या-02 के अनुपालन में NPV की राशि प्रमण्डलवार जमा की गई है। वर्तमान में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.12.2023 द्वारा निर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं 2023 मार्ग निर्देशिका के Chapter-3 के अनुसार विषयगत परियोजना के लिए NPV की राशि हेतु वर्तमान दर से संशोधित मांग-पत्र निर्गत करते हुए वसूलीय राशि कैम्पा खाता में जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।